

प्रेषक

प्रधान सचिव,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

महानिदेशक,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

यादी क०: टी-3/प्राई०आई०टी०आई०/पोलिसी/667
दिनांक: 6/5/14

विषय:-एस०सी०वी०टी० स्कीम में चल रहे व्यवसायों को एन०सी०वी०टी० से सम्बन्धन करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि हरियाणा राज्य में स्थित प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एस०सी०वी०टी० स्कीम के तहत चल रहे व्यवसायों/यूनिट्स का जब तक एन०सी०वी०टी० से सम्बन्धन नहीं हो जाता, तब तक उनके संस्थान का एस०सी०वी०टी० स्कीम में अतिरिक्त यूनिट/व्यवसाय बढ़ाने बावत अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अधीक्षक (ओ० प्रशि०)
कृते: प्रधान सचिव, औद्योगिक प्रशिक्षण
विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

निदेशालय, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

पू० क०: टी-3/प्राई०आई०टी०आई०/पोलिसी/669

दिनांक: 6.5.14

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. सहायक निदेशक प्रशिक्षण (वैबसाईट पर डालने हेतु)।
2. प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी, अम्बाला शहर, भिवानी, फरीदाबाद, भोडिया खेडा (फतेहाबाद), गुडगांव, हिसार, बहादुरगढ़ (झज्जर), जीन्द, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पलवल, पंचकुला, रिवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर।
3. सभी प्रधानाचार्य, प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (हरियाणा राज्य में स्थित)।

सहायक निदेशक (प्रशि०-4)
कृते: महा निदेशक, ओ० प्रशि० विभाग, हरियाणा।